

निर्णय ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 334/2020 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)
आवास फाईनेन्सर्स लि. (पूर्व नाम एयू हाउसिंग फाईनेन्स लि.) पंजिकृत कार्यालय 201-202 फ्लोर
साउथेड स्वचायर, मानसरोवर इण्डिस्ट्रीयल एरिया, जयपुर ।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. ईश्वर चौधरी पुत्र श्री भगवान दास
पता-मकान नं. 9/113, वार्ड नं. 3, चित्रकूट नगर, हीरापुरा, जयपुर एवं
फ्लेट/यूनिट नं.-11, द्वितीय तल, प्लॉट नं. बी-70 बजाज नगर, जयपुर ।
2. श्रीमती हेमलता चौधरी पत्नी श्री ईश्वर चौधरी
पता-मकान नं. 9/113, वार्ड नं. 3, चित्रकूट नगर, हीरापुरा, जयपुर ।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002.

उपस्थित:-श्री भवानी सिंह नरुका अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से ।

आदेश

दिनांक: 22.12.2020

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 10.02.2014 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी ईश्वर चौधरी पुत्र श्री भगवान दास के स्वामित्व की सम्पत्ति फ्लैट/यूनिट नं. द्वितीय, द्वितीय तल, प्लॉट नं. बी-70 बजाज नगर जयपुर क्षेत्रफल 1260 वर्गफिट को बन्धक रख कर 37,50,000/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 07.02.2020 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आक्षयक पुलिस इमदाद उपलब्ध का अनुरोध किया है।




2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया । न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

3. प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता को को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 18 दिसम्बर 2015 से सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
5. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगणों को 37,50,000/-रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय व्याज कुल 28,61,613/-रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 07.02.2020 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।
6. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी ईश्वर चौधरी पुत्र श्री भगवान दास के स्वामित्व की सम्पत्ति फ्लैट/यूनिट नं. द्वितीय, द्वितीय तल, प्लॉट नं. बी-70 बजाज नगर जयपुर क्षेत्रफल 1260 वर्गफिट का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
7. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें।
8. आदेश की प्रति हस्य कायदा जारी हो । पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।
9. आदेश आज दिनांक 22.12.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।




 22/12/2020
 (अन्तर सिंह नेहरा)
 जिला मजिस्ट्रेट
 (कलक्टर) जयपुर